न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र प्र.सं. 96/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/203 शीशपाल बनाम ग्राम पंचायत कीकरवाली आदि अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 मय धारा 141 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता	नम्बर व तारीख अहकाम
24.12.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिवक्ता रायसिंहनगर न्यायालय में प्रेक्टिस करते है तथा प्रकरण की तारीख संहबन से नोट नहीं होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके एवं नोटिस पेश नहीं कर सके। प्रार्थी 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है इसलिए स्वयं उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी सद्भावी है। निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.10.2024 को अपास्त कर पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। मूल निगरानी प्रकरण सं. 50/2023 शीशपाल बनाम ग्राम पंचायत कीकरवाली आदि निर्णय दिनांक 28.10.2024 का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 31.07.2024 को निगरानीकर्ता/प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश करने हेतु आदेश दिए गए थे। परन्तु नाटिस तलवाना पेश करने में असफल रहने पर दिनांक 28.10.2024 को पत्रावली खारिज की गयी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया है, प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा आ. 9 नि.9 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया है परन्तु नियम 9 के प्रावधान केवल नियम 8 के अधीन खारिज किये गये प्रकरण पर लागू होते है। जबकि प्रार्थी का निगरानी पत्र आदेश 9 नियम 5 के अधीन खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी आदेश 9 नियम 5 के उप नियम 2 के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 मय धारा 141, 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज०)